कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल

UTTARAKHAND

E-mail id :- eepwddugadda@rediffmail.com
eepwdcddugadda@gmail.com

Phone & Fax No :-01382-251221

पत्रांक 4282 / 5 सी0 दिनांक 27/09/21

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक
राजाजी टाईगर रिर्जव
5/1 अंसारी मार्ग
देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय :– **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी पर 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 सेतु निर्माण कार्य हेतु 0.51 हे0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No FP/UK/ROAD/ 44583/2020)**

संदर्भ :– **भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्राक–8वी0/यू0सी0पी0/06/159/2020/एफ0सी0/2529 दि0 26/3/21**

महोदय,

उपरोक्त विषयक **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी पर 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 सेतु निर्माण** हेतु 0.51 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संदर्भित पत्र के माध्यम से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन बिन्दुवार निम्न प्रकार किया जा रहा है :–

1– वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी (प्रमाण–पत्र संलग्न)।

2– परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सोंपी जायेगी (आवश्यकता नहीं है)।

3– प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु (वित्तीय वर्ष 2021–2022 की दर से) रू0 3,43,928.00 की धनराशि का भुगतान कैम्पा कोष में आर0टी0जी0एस0 यू0टी0आर0 नं0–SBIN521261693537 दिनांक 18/9/2021 द्वारा जमा करा दिया गया है (आर0टी0जी0एस0 की छाया प्रति संलग्न)।

4– प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तम्भ रू0 3,43,928.00 की लागत आर0टी0जी0एस0 यू0टी0आर0 नं0–SBIN521261693537 दिनांक 18/9/2021 द्वारा परियोजना प्राधिकरण में अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा कर दी गई है। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित करने हेतु भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्राविधान शामिल किये जाने हेतु विभाग को कोई आपत्ति नहीं है (आर0टी0जी0एस0 की छाया प्रति संलग्न)।

5– शुद्ध वर्तमान मूल्य

क माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0– 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0–5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 5/2/2009 के तहत दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0)की निर्धारित ईको –क्लास श्रेणी–द्वितीय के मूल्यांकन पर धनराशि रू0 22,33,800.00 मात्र का भुगतान आर0टी0जी0एस0 यू0टी0आर0 नं0– SBIN521261693537 दिनांक 18/9/2021 द्वारा कैम्पा कोष में जमा करा दिया गया है (आर0टी0जी0एस0 की छाया प्रति संलग्न)।

ख याचक विभाग द्वारा भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में वृद्धि होती है तो इस आशय का बचन बद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न है।

6– विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं पातन होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 19 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। (संलग्न)।

7– Details of Density and Eco-Class found different in para 4 part II and NPV sheet. DFO had verified the density and Eco class and accordingly NPV had been Deposited.

8– परियोजना के तहत् प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्राधिकारण फंड मे स्थानानान्तरित/जमा करा दिया गया है (आर0टी0जी0एस0 की छाया प्रति संलग्न)।

9– गाईड लाईन मे दिये गये दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही गतिमान है (प्रमाण पत्र संलग्न)।

10– एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धार्रित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा (संलग्न)।

11– प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी0 मानदंड़ो के अनुसार सड़क के दोनो किनारो पर पौधो की संख्या बढाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

12– संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगे (प्रमाण पत्र संलग्न)।

13– पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानो के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरण स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

14– केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नही बदला जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

15— वन भूमि एवं आस—पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

16— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन किया जाएगा (संलग्न)।

17— सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमाकंन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

18— परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

19— वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नही किया जाएगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

20— केन्द्र सरकार की पूवानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसी या विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जाएगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

21— इनमे से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11—42/2017—FC दि0—29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होने पर प्रयोक्ता अभिकरण को कोई आपत्ति नही होगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

22— पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित मे समय—समय पर निर्धारित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

23— प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वाविर्दिष्ट स्थलो पर इस प्रकार मलबे का निस्तारण करेगा। कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण मे तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।

24— यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयाक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।

25— अनुपालन रिर्पोट ई—पोर्टल (https://forestclearance.nic.in) पर अपलोड कर दी गई है।

संलग्न :— **उपरोक्तानुसार।**

22/9/21

(निर्भय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा—गढ़वाल

पत्रांक 4282 /5 सी0 दिनांक 22/09/21

प्रतिलिपि :— अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/9/21

(निर्भय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा—गढ़वाल

बिन्दु सं0–1

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

बिन्दु सं0–9

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155 / 2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाईड लाईन मे दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति प्रस्तुत करने हेतु कार्यवाही गतिमान है। अग्रिम कार्यवाही के पश्चात् यथासमय पर सूचित कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

Annexure-I

FORM-II
(for linear projects)
Government of Uttarakhand)
Office of the District Collector, Garhwal.

No 45/PA – 2020

Dated 15/2/2020

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India's letter No-11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRS for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2003 wherein MoEF issued proposed to be diverted in fabour of public work Department (Name of User Agency) for **Construction Division, PWD Dugadda** (Purposed for diversion of forest land) in Pauri District falls within jurisdiction **of Construction of 200m span double lane RCC on Been River of Chila-Pashulok Motor road, Near Gangabhogpur in Constituecncy –Yamkeshwar in District Pauri-Garhwal (Under CM Announcement No 155/2018)** villagers (s) in Yamkeshwar tehsil.

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.510** hectares of **Reserve Forest Land** proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee of the forest Rights committee(s) Gram sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ......1-4........ annexure ...7-10.....

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama sabha have given their consent to it,

(c) the each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/Processes under the FRA have proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above.

Photocopy attested

[signature]

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगड्डा (गढ़वाल)

Signature

[signature]

(Dhiraaj Singh Gabriyal IAS)
District Collector, Pauri

प्रपत्र 23

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :–**गंगाभोगपुर (कौड़िया)**
तहसील यमकेश्वर, जिला–पौड़ी गढ़वाल।

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

उत्तराखण्ड के **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण** परियोजना के निर्माण हेतु **0.510** है0 आरक्षित वन भूमि, **शून्य** सिविल सोयम भूमि, **शून्य** है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.510** है0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत–**गंगाभोगपुर** द्वारा दिनांक 3/2/2020 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासी द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **गंगाभोगपुर**के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सदस्य क्षेत्र पंचायत
गंगा भोगपुर
विकास खण्ड–यमकेश्वर
जिला–पौड़ी

ग्राम पंचायत गंगा भोगपुर
ह0 Babita Devi
दिनांक..........

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा [illegible] की भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

प्रपत्र 23—1

दिनांक 3/2/2020 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत :—गंगाभोगपुर

क0स0	ग्राम सभा के उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	पंकज सिंह	Pankaj
(2)	प्रदीप सिंह	Pradeep
(3)	राजेश बौलवाल	[illegible]
4-	राजीव प्रकाश	[illegible]
5-	[illegible]	[illegible]
6-	गीता देवी	गीता देवी
7-	सुशील कुमार	Sushil Kumar
(9)	गणेश कुकरेती	गणेश कुकरेती
(10)	सन्नी	Sunny
11	आनन्द सिंह	[illegible]
	महेन्द्र [illegible]	[illegible]
	सतेन्द्र सिंह - ग्राम [illegible]	Satender Singh

राजेन्द्र प्रसाद — [signature]

गौरी दत्त शर्मा — गौरी दत्त शर्मा

बबीता देवी

बिमल सिंह

[illegible] प्रसाद.

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

प्रधान ग्राम पंचायत गंगा भोगपुर मल्ला, वि0ख0 यमकेश्वर (पौड़ी गढ़वाल)

सदस्य क्षेत्र पंचायत
गंगा भोगपुर
विकास खण्ड-यमकेश्वर
जिला-पौड़ी गढ़वाल

प्रपत्र 23–2

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

कार्यालय उपजिलाधिकारी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड. **यमकेश्वर**परिक्षेत्र के अन्तर्गतमाननीय **मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य** (**0.510** है0 आरक्षित वन भूमि **शून्य** है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, **शून्य**है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **0.510** है0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**प्रयोक्त एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उप खण्ड स्तरीय समिति (तहसील **यमकेश्वर**) की दिनांक.4 /02/~~2019~~ 2020 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री श्याम सिंह राणा ....उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री एस० एस० राणा उपजिलाधिकारी यमकेश्वर ....अध्यक्ष। उप जिलाधिकारी, यमकेश्वर, पौड़ी गढ़वाल
2– श्री ...एल० पी० रतूड़ी... वन्य जीव प्रतिपालक चीला रेंज डिविजन ....सदस्य। वन्य जीव प्रतिपालक चीला (हरिद्वार)
3– श्री कुलदीप सिंह पंवार ......सहायक समाज कल्याण अधिकारी यमकेश्वर ....सदस्य/सचिव।
4– श्री...विजेन्द्र सिंह......बी0डी0सी0क्षेत्र/ ....गंगा भोगपुर ....सदस्य। सदस्य क्षेत्र पंचायत ... विकास समिति गंगा भोगपुर, यमकेश्वर जिला–पौड़ी गढ़वाल

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण** परियोजना हेतु **0.510** है0 आरक्षित वन **भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा**प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। अतः भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपभोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

(37)

सम्बन्धित उपप्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं वन सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन प्रत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वर्तमान में उपखण्ड **यमकेश्वर**परिक्षेत्र के अन्तर्गत **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **0.510** है0 वन भूमि राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, देहरादून से प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवंटित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

(L. P. Semwal)
वन्य जीव प्रतिपालक
चीला (परिक्षेत्र)
राजाजी टाईगर रिजर्व

सदस्य क्षेत्र पंचायत
गंगा भोगपुर
विकास खण्ड-यमकेश्वर
जिला-पौड़ी गढ़वाल

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
विकास खण्ड यमकेश्वर

उप जिलाधिकारी,
यमकेश्वर, गढ़वाल
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील–यमकेश्वर।
जनपद–पौड़ी।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, पौड़ी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
यमकेश्वर, गढ़वाल
उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति
तहसील–यमकेश्वर।
जनपद–पौड़ी।

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

(30)

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु **0.510** हे0 आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति....................तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

(धीराज सिंह गर्ब्याल आई0ए0एस0)
जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
गढ़वाल

प्रपत्र 23—4

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0—155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला—पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0—155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला—पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य परियोजना के निर्माण हेतु **0.510** है0 आरक्षित वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्त एजेन्सी) का पर्त्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र सं. 0—11—9/98—एफ0सी0 दि0 5/2/13 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों तथा सड़क नहर, परिपण लाईन, ओ0एफ0सी0 केबिल एवं पाईप लाईन आदि बिछाने आदि के प्रकरणों का वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups)व आदिकालीन कृषि समुदाय (Pre Agriculture Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

(धीराज सिंह गर्ब्याल आई0ए0एस0)
जिलाधिकारी
पौड़ी।
जिलाधिकारी
गढ़वाल

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

It is further certified that-Minutes of Meeting of Construction of 200m span double lane RCC on Been River of Chila-Pashulok Motor road, Near Gangabhogpur in Constituecncy –Yamkeshwar in District Pauri-Garhwal (Under CM Announcement No 155/2018) (Bridge Length 200m span) Regarding FRA is as following.

SL NO		REMARK
(a)	The complete process for indentification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire **0.510 Hect.** Of Forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the forest Right Committee (s) Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure 30.2	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have given consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers. No objection certificate concerned Various villagers in Dandamandalregarding construction of aforesaid construction of motor road is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre agriculture Communities.	Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

सदस्य
जिला पंचायत सदस्य
जिला पंचात उमरोली
पौडी गढवाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
पौडी

निदेशक/वन सरक्षक
राजाजी टाइगर रिजर्व
उत्तराखण्ड देहरादून

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगड्डा (गढ़वाल)

(धीराज सिंह गर्ब्याल आई०ए०एस०)
जिलाधिकारी
पौड़ी
जिलाधिकारी
गढ़वाल

(41)

दिनांक. / /2020 को जिलाधिकारी पौड़ी की अध्यक्षता में आयोजित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति रही :–

1–	सर्व श्री धीराज सिंह गर्ब्याल	जिलाधिकारी, पौड़ी	अध्यक्ष।
2–	श्री टी0के0 पात्रो	निदेशक राजाजी राष्ट्रीय पार्क	सदस्य।
3–	श्रीमती सूनिता अरोड़ा	जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी	सदस्य।
4–	कु0 आरती गौड़	जिला पंचायत सदस्य उमरोली	सदस्य।

बताया गया कि यमकेश्वर ब्लॉक में बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण होना प्रस्तावित है, जिनके प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं। उक्त मार्गो हेतु उप स्तरीय समिति द्वारा वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सभी कार्यवाही करते हुए निर्धारित प्रपत्र निर्गत किये गये हैं। मार्गो का विवरण निम्नवत् है

1– **माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन:–** इस सेतु का निर्माग चीला–पशुलोक मोटर मार्ग के पास बीन नदी पर निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस सेतु के निर्माण हेतु 0.510है0 राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, देहरादून की आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है। सेतु निर्माण में प्रस्तावित भूमि पर कोई आदिवासी जनजाति एवं परम्परागत वनवासी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इस सम्बन्ध में खण्ड स्तरीय समिति द्वारा अपनी संस्तुति दी गई है। उक्त मार्ग के निर्माण से आस–पास के सभी ग्रामों की जनता लाभान्वित होगी। इन गांवों को जोड़ने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नहीं है और न ही प्रस्तावित है।

Photocopy attested

D Ray
जिलाधिकारी
गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

निर्णय

अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2007 के अन्तर्गत गठित उप खण्ड स्तरीय समिति से प्राप्त माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा **सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु** प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि 0.510 है0 लो0नि0वि0 को उप खण्ड स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर जनहित मे समक्ष प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है। सभी उपस्थित सदस्यो को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(धीराज सिंह गर्ब्याल) आई0ए0एस0
जिलाधिकारी
पौडी

जिलाधिकारी
गढ़वाल

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा।

पत्रांक 721 /9 सी0

दिनांक 19/02/2020

प्रतिलिपि :– 1–जिला समाज कल्याण अधिकारी, पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
2–उप निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता 19/2/2020
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा–गढ़वाल।

Scanned with CamScanner

प्रारूप 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT GARHWAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes and other Traditional Forest Dwellers (recognition of right) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri District, Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Dheeraj Singh Gabriyal **I.A.S.** deputy commissioner, Pauri on dated 14/02/2020 at Pauri in which application claiming rights in Reserve Forest area measuring **0.510 Hect** for the Construction of 200m span double lane RCC on Been River of Chila-Pashulok Motor road, Near Gangabhogpur in Constituecncy –Yamkeshwar in District Pauri-Garhwal (Under CM Announcement No 155/2018) **(Bridge Length 200m span)** forest land under FRA. 2006 of the following applicant dully processed and recommended by the sub division level committee Yamkeshwar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no Objection/ claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place…Pauri

Dated…14/2/2020

(Dheeraj Singh Gabriyal IAS)
Deputy Commissioner- cum-Chairman
District Level committee.

photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगड्डा (गढ़वाल)

बिन्दु सं0–11

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदंड़ो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाई जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

बिन्दु सं0–12

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों मे निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेगे।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

बिन्दु सं0–14

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आडट प्लान नही बदला जाएगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

(63)

प्रारुप–51

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा–गढ़वाल	(Satya Prakash) सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा–गढ़वाल	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा–गढ़वाल

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

प्रारुप–39

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी।

अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल	दुगड्डा–गढ़वाल	दुगड्डा–गढ़वाल

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

बिन्दु सं0–15

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

बिन्दु सं0–17

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमाकंन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

बिन्दु सं0—18

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0—155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला—पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा—गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा—गढ़वाल

बिन्दु सं0–19

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

बिन्दु सं0–20

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य ऐजेसी या विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

प्रारुप–54

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा–गढ़वाल	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा–गढ़वाल	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा–गढ़वाल
वन क्षेत्राधिकारी गोहरी रेंज राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग,	वन्य जीव प्रतिपालक राजाजी टाईगर रिजर्व, ~~वन प्रभाग,~~ हरिद्वार वन्य जीव प्रतिपालक चीला (हरिद्वार) राजाजी टाईगर रिजर्व	उप निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, देहरादून।

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

बिन्दु सं0–22

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित मे समय–समय पर निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

बिन्दु सं0–21

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शर्त सं0 1 से 25 तक किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दि0–29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होने पर प्रयोक्ता अभिकरण को कोई आपत्ति नहीं होगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

बिन्दु सं0–23

परियोजना का नाम :– मानीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलबा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुर्नजीवित करने का कार्य किया जायेगा। मलबे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारे बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों का राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्व तरीके से पूरा किया जायेगा। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई नहीं होगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा–गढ़वाल

बिन्दु सं0—24

परियोजना का नाम :— माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0—155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला—पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
दुगड्डा—गढ़वाल

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
दुगड्डा—गढ़वाल

प्रारुप–24

परियोजना का नाम :– माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा सं0–155/2018 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में चीला–पशुलोक मोटर मार्ग पर गंगाभोगपुर के पास बीन नदी में 200 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु 0.510 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, दुगड्डा को प्रत्यावर्तन।

न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है व भारत सरकार से परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा–गढ़वाल	सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा–गढ़वाल	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा–गढ़वाल
वन क्षेत्राधिकारी गोहरी रेंज राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग,	वन्य जीव प्रतिपालक राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, हरिद्वार वन्य जीव प्रतिपालक चीला (हरिद्वार) राजाजी टाईगर रिजर्व	उप निदेशक राजाजी टाईगर रिजर्व, वन प्रभाग, देहरादून।

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

NEFT: Message Details	
UTR Number	SBIN521261693537
Transaction Branch	00585
Value Date	18/09/2021
Amount	2577728 INR
Commission	0

Beneficiary Details	
Beneficiary Account	150896144583532
Beneficiary Name	UTTARANCHAL CAMPA
Beneficiary Address	
IFSC Code	UBIN0903710

Remitting Customer Details	
Account Number	00000037608156503
Remitter's Name	BR PARKING
Remitter's Address	

Sender's To Receiver Information

NEFT AGAIST DD 380651383

Details of Payment

Error Code

Fund Status

[redacted]

भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India 0585 Koldwar Pauri Garhwal कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल)

Photocopy attested

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
दुगड्डा (गढ़वाल)